

राजस्थान सरकार  
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक: राम/प-2(3)रातस/विविध/2007/1578

दिनांक: 19-3-2012

-: परिपत्र :-

प्रायः देखा गया है कि जिला कलेक्टर/ विभागाध्यक्षों द्वारा उनके अधीन पदस्थापित तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को किन्हीं कारणों से आगामी पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षाधीन करते हुए उनका मुख्यालय जिला कलेक्टर कार्यालय या उनके कार्यालय में ही निर्धारित कर दिया जाता है। इससे उन पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षाधीन तहसीलदारों/ नायब तहसीलदारों के पदस्थापन में अनावश्यक विलम्ब होता है एवं ए.पी.ओ. अवधि के पूरे वेतन एवं भत्तों के भुगतान का आर्थिक भार राज्य सरकार को वहन करना पड़ता है।

वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ-1(1) एफडी/रूल्स/2007 दिनांक 29.2.2012 के द्वारा मा. अध्यक्ष महोदया, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को अधिकतम 30 दिन की ए.पी.ओ. अवधि को नियमन की शक्तियां प्रदत्त की है। ए.पी.ओ. अवधि 30 दिन से अधिक होने पर ए.पी.ओ. अवधि का नियमन प्रशासनिक विभाग से कराया जाना होता है। जिसमें विस्तृत सूचना/ कारणों से भी अवगत कराया जाना होता है, और ए.पी.ओ. अवधि के नियमन में काफी कठिनाई आती है।

अतः समस्त जिला कलेक्टर/ विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीन पदस्थापित तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को आपके द्वारा किसी भी कारणवश आगामी पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षाधीन किया जाना हो तो ऐसे तहसीलदारों/ नायब तहसीलदारों को ए.पी.ओ. करते हुए मुख्यालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ही निर्धारित किया जावे, ताकि उनका पदस्थापन शीघ्र ही किया जा सके।

कृपया इसकी पालना सख्ती से कराई जाना सुनिश्चित करावें।

आदेशानुसार,

निबन्धक

राजस्व मण्डल राज., अजमेर

क्रमांक: सम/1579-1650

दिनांक: 19-3-2012

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

- 1- आयुक्त, भू-प्रबंध विभाग राजस्थान जयपुर।
- 2- आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर।
- 3- समस्त संभागीय आयुक्त।
- 4- समस्त जिला कलेक्टर।
- 5- सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
- 6- सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
- 7- संबंधित विभागाध्यक्ष।
- 8- आदेश पंजिका।

अति.निबन्धक(रातस)

राजस्व मण्डल राज., अजमेर